

कार्यालय आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 28/30-2007 पी0एस0 (4) दिनांक, चण्डीगढ़ 4-10-2007

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Aravali Hills Public School Tankari (Rewari)** को कक्षा 1 से 10 वीं तक की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दिया जाता है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगा विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 28/30-2007 P.S.(4) दिनांक 17-7-2007 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 828/Rew/Matric/2007_है।

अनुराग रस्तोगी
आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 5-10-2007

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

- 1- प्रबन्धक समिति, **Aravali Education Society, Tankari (Rewari)**.
- 2- सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, Rewari.
- 4- मास्टर फाईल।

अधीक्षक पी0एस0,

कृते: आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।